भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 915

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....

गिरता जल स्तर

915. श्री अधीर रंजन चौधरी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारत के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर पिछले दशक के औसत से 21 प्रतिशत नीचे चला गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नीति आयोग की जून, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, जल की मांग वर्तमान आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी और भारत की जीडीपी 6 प्रतिशत तक कम हो जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए जल संचयन योजना कार्यान्वित कर रही है; और

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को जल संचयन हेतु बांधों और तटबंधों की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) केन्द्रीय जल आयोग देश के 91 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी करता है। दिनांक 20.06.2019 के अद्यतन बुलेटिन के अनुसार इन जलाशयों में सक्रिय भंडारण उपलब्धता 27.265 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जो कि विगत 10 वर्षों के औसत सक्रिय भंडारण का 93% है।

(ख) जी, हां। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित 'कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई)' शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक देश की जल मांग, उपलब्ध आपूर्ति से दो गुना होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2050 तक देश की जीडीपी में 6% हानि होगी। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उच्च उपयोग परिदृश्य में वर्ष 2050 तक जल आवश्यकता 1137 बीसीएम की कुल उपलब्धता को पार करते हुए 1180 बीसीएम होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण वर्षा जल संचयन सहित जल प्रबंधन और संरक्षण संबंधी पहल करने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्यों की है। केन्द्र सरकार मुख्यत: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटरशेड विकास घटक और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर बूंद से अधिक फसल द्वारा सहायता प्राप्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस) के माध्यम से जल संचयन और संरक्षण निर्माण कार्यों की सहायता करती है। इन स्कीमों के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान 17,56,027 जल संचयन और संरक्षण कार्यों को पूरा कर लिया गया है, जिसके लिए 23,435.67 करोड़ रूपए केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी किए गए थे।

जल स्तर में गिरावट के नियंत्रण और वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर दिया गया : http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

बांध पुनर्स्थापन और सुधार परियोजना (डीआरआईपी), विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना, को अप्रैल, 2012 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रणालीवार व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण सहित सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ सुरक्षा चयनित बांधों के सुरक्षा और प्रचालन निष्पादन में सुधार करना है। यह केन्द्रीय घटक सहित एक राज्य क्षेत्र स्कीम है। परियोजना की लगता 3466 करोड़ रूपए है और जून, 2020 में पूरा कर लिया जाना निर्धारित है। इस परियोजना में सात राज्यों नामत: झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में स्थित 223 बांधों के लिए पुनर्स्थापन का प्रावधान है। इस परियोजना में बिना किसी केन्द्रीय सहायता के एक बाद एक ऋण की व्यवस्था है।

*****